हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the 1-7-14

Sub :- Diversion of 1.66 hectares of forest land in favour of M/s Shansha Hydro Power Project Co-operative Society Ltd. VPO Shansha, Tehsil Kelong for the construction of 4 MW Shansha Small Hydro Electric Project, within the jurisdiction of Lahaul Forest Division, Distt. Lahaul & spiti, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB371/2013-CHA/ 148** दिनांक **18.06.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.66 hectare** वन भूमि को **M/s Shansha Hydro Power Project Co-operative Society Ltd, H.O. VPO Shansha, Tehsil Kelong** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम पौधें कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **53** वृक्षों से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF Shansha में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये **15,26,940/–(पन्द्रह लाख छब्बीस हजार नौ सौ चालिस मात्र)** की राशि से कुल **3.32** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगााकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिए सभी सुरक्षा उपाय/पूर्वऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगा।

5 सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोत्ता एजैंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।

6 प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।

7 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुश्ता–दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

9 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Lahaul & Spiti, H.P.

Contd....2.

प्रमुख अरण्यपाल (वन) हि०प्र०
पावती सं० 988
दिनांक 3/7/14

11 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 1-7-14
Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh .
5. CCF,Lahaul & Spiti /DFO, Lahaul Forest Division, Distt. Lahaul & Spiti. H.P.
6 M/s Shansha Hydro Power Project Co-operative Society Ltd, H.O. VPO Shansha, Tehsil Kelong. Distt. Lahaul & Spiti.
7. Guard File.

(Prakash Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573

हिमाचल प्रदेश सरकार